न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय्,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

रोसड़ा थाना काण्ड सं0 313/19,कम्पयूटर निबंधन सं0 1188/19

6.5.20 आवेदक **1. राहुल कुमार राम उर्फ राहुल राम,**जो रोसड़ा थाना काण्ड सं0 313/19, धारा–272, 273, 290 भा0द0वि0 एवं धारा–30(a), 37(c) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 17.3.20 से काराधीन है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान वि0 लोक अभियोजक को विडियो कान्फ्रेस के माध्यम से सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री रजनी रंजन द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया, कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उसकी ओर से पूर्व में दाखिल कि0मिस0 87024/19 मान्नीय उच्च न्यायालय,पटना द्वारा दि0 14.2.20 को खारिज किया जा चुका है जिसके पश्चात वह दिनांक 17.3.20 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। उसके पश्चात उसकी ओर से वर्तमान जमानत आवेदन को छोड़कर कोई अन्य अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन, मान्नीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य वरीय न्यायालय में न तो दाखिल किया गया है और न ही लम्बित है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि उसके पास से कोई शराब बरामद नही किया गया है। तथाकथित बरामद शराब से उसका कोई संबंध नही है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। आरोपित धाराऍ उसके विरूद्व नही बनती है। वह दिनांक 17.3.20 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्व धारा–272, 273, 290 भा0द0वि0 एवं धारा–30(a), 37(c) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी के क्रम में आवेदक अभियुक्त के घर से कुल 4.00 लीटर महुआ देशी शराब बरामद किया गया जिसी जप्ती सूची बनायी गयी। अभियोजन की ओर से मांगा गया आपराधिक इतिहास अप्राप्त है। आवेदक दिनांक 17.3.20 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में बरामद देशी महुआ शराब की मात्रा एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त **1. राहुल कुमार राम उर्फ राहुल राम** को मो0 दस हजार रू0 के बंद्व–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। आवेदक अभियुक्त इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा, कि यदि उसका कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास पाया जाएगा तो बंद्य–पत्र खण्डित कर दिया जाएगा, साथ ही वह वाद के निस्तारण तक प्रत्येक निश्चित तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करेगा। (लेखापित)

वि0 न्या0उत्पाद